

स्पीड पोस्ट  
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-3012/2015 श्र0सं0-

75

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० सिद्धार्थ,  
सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
मधेपुरा ।

पटना, दिनांक :-

23-12-15

विषय:-

आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड- पी 2230011140102) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2692 दिनांक-27.8.15 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष- 2015-16 में 31 मार्च 2016 तक व्यय के निमित्त " बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रू० 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	प्राथमिक इकाई	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1	मधेपुरा	01	31-06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	100000/-	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा का पत्रांक-279 दिनांक-08.12.15 के आलोक में स्व० उपेन्द्र मालाकार, आश्रित मसो० हीरा देवी(पत्नी) ग्राम-किशुनगंज टोला, रामबाग, थाना+पोस्ट-उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा के भुगतान हेतु।
	कुल	01		100000/-	

कुल आवंटित राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र ।

2. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत इसकी जाँच पड़ताल कर मृतक के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय । भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फ़ैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।
3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि० दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि० दिनांक-17.06.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/ वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
4. बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली,2008 पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
5. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

(एस० सिद्धार्थ)

सचिव +

ज्ञापांक-6/एफ1-3012/2015 श्र0सं0-

पटना, दिनांक

23-12-15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(एस० सिद्धार्थ)

सचिव ।

\*स्पी पोस्ट

ज्ञापंक-6/एफ1-3012/20145 श्र0सं0-

75

पटना, दिनांक-

23-12-15

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त कोसी/  
\*जिला कोषागार पदाधिकारी मधेपुरा/सहायक श्रमायुक्त सहरसा/श्रम अधीक्षक मधेपुरा/ आई०टी०मैनेजर, श्रम  
संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/सहायक श्रमायुक्त, शोध एवं प्रशाखा-01(श्रम पक्ष) को उनके  
गै०स०प्रे०सं०-235 (श्रमपक्ष) दिनांक-16.12.15 के आलोक में /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा ।

(एस० सिद्धार्थ)

सचिव ।